Sylph Technologies

Super Network 27

To,

Date: 18/06/2022

The Manager Listing
Corporate Relation Department
Bombay Stock Exchange Limited
PhirozJeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai 400001

(ISIN: INE706F01013 Scrip Code: 511447)

Sub: - Copy of notice of AGM published in Newspaper.

Dear Sir,

With reference to the above, we are enclosing herewith the copy of notice of 30th Annual General Meeting to be held on Monday, 11th July 2022, published in newspaper as on 17th June 2022, as per Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations 2015.

Please take the above on record.

Thanking You,

For **Sylph Technologies Limited**

SYLPH TECHNOLOGIES LTD. INDIA

CS Varsha Inchurkar
Company Secretary & Compliance Officer
(M.No. A65719)

Enclosed: As Stated above.

Sylph Technologies Limited
ST-4, "Press House" 22, Press Complex, A.B. Road,
INDORE (M.P.) 452008, INDIA, Phone: 0731-4057141
E-mail: rajeshjain1962@gmail.com
Url: www.sylphtechnologies.com
CIN L36100MP1992PLC007102

दैनिक अपनी दुनिया

अपना इंदौर

पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने दस्तावेज निर्धारित

इन्दौर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गयी है।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि वोटर स्लिप, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड (सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी), बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज़ जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान-पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान-पत्र (पी.एन.एन. कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी आद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज़ जैसे - भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक, विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र और रोजगार गांरटी योजना में जारी फोटोयुक्त जॉबकार्ड।

इस सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यह स्पष्ट किया गया है कि ऊपर दर्शाए गए कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, उससे परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जायेगी। इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो।

यदि कोई मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के बाद, उसे मतदान की सुविधा दे सकेगा।

लवकुश आवास विहार में 3 दिवसीय सांई बाबा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 5 जुलाई से

इन्दौर। सुखलिया स्थित लवकुश आवास विहार में सांई बाबा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 3 दिनों तक मनाया जाएगा। जिसके तहत विशाल भजन संध्या एवं विशाल भंडारा भी होगा। सांई बाबा मंदिर एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियों का दौर जारी है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से सुखलिया क्षेत्र के नगरवासियों के साथ ही शहर के राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी इस महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। लवकुश आवास विहार सांई बाबा मंदिर समिति अध्यक्ष चन्द्रकांत कुंजीर ने बताया कि सुखलिया स्थित लवकुश आवास विहार में सांई बाबा का नवनिर्मित मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर व सांई बाबा का स्थापना दिवस लवकुश आवास विहार में 3 दिन तक मनाया जाएगा। लवकुश आवास विहार सांई मंदिर में विद्वान पंड़ितों के सान्निध्य एवं संतों की मौजूदगी में जयपुर से आई बाबा की 5 फीट की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत मंदिर को आकर्षक विद्युत सज्जा कर सजाया जाएगा। वहीं 101 महादीपों से महिलाओं और युवतियों द्वारा आरती भी की जाएगी। कार्यक्रम में की शुरूआत 5 जुलाई को सुबह 8 बजे से होगी। जिसमें विद्वान पंड़ितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की सभी विधियां की जाएगी। वहीं 6 जुलाई को भी धार्मिक कार्यक्रम का दौर सुबह से शाम तक चलेगा। गुरूवार 7 जुलाई को मुख्य महोत्सव मनाया जाएगा। जिसमें सांई बाबा की मूर्ति का प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। इसी दिन शाम 6 बजे से विशाल भंडारा एवं भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। जिसमें भजन गायकों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।

महापौर बना तो, नगर निगम के सभी मस्टर व विनियमित कर्मचारियों को एक माह में नियमित करूंगा

- कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने किया बड़ा वादा

इन्दौर । कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि इन्दौर नगर निगम के सभी मस्टर व विनियमित कर्मचारियों को एक माह के अंदर नियमित कर दिया जाएगा। मैं महापौर बनने के बाद पहली प्राथमिकता इन सभी कर्मचारियों को %नियमित% करने के काम को दूंगा।

शुक्ला ने यह वादा आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विभिन्न क्षेत्रों में अपने जनसंपर्क के दौरान नागरिकों के साथ चर्चा में किया। उन्होंने अपने जनसंपर्क की शुरुआत पलासिया की %हरिजन कॉलोनी% में भगवान उमेश नाथजी के मंदिर पर पूजा अर्चना कर की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं इस क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के साथ देवनगर, पांचू की चाल क्षेत्र से जनसंपर्क शुरु हुआ। इस क्षेत्र में बहुत से नगर निगम के सफाईकर्मी भी निवास करते हैं, जो कि मस्टर कर्मचारी के रूप में निगम में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों ने राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी की परिषद के द्वारा नगर निगम में 20-25 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को अब तक %नियमित% नहीं करने और बार-बार झूठा वादा करने की तरफ कांग्रेस प्रत्याशी शुक्ला का ध्यान आकर्षित किया। शुक्ला ने कहा कि %झूठ बोलना% और %वादा ख?लाफी% करना भाजपा के नेताओं की आदत है। मैं संजय शुक्ला आप लोगों से वादा करता हूं कि महापौर के पद पर निर्वाचित होकर काम शुरू करने के बाद एक महीने के अंदर इन्दौर नगर निगम के 15 हजार से अध?क मस्टर और विनियमित कर्मचारियों को %नियमित% कर दूंगा..!

शुक्ला ने आज अंबेडकर नगर, सोमनाथ की चाल, अमर टेकरी, विकास नगर, पंचम की फेल, गोमा की फेल, काजी की चाल, रुस्तम का बगीचा, ममता कॉलोनी, सम्राट नगर, खिजराबाद कॉलोनी, बंगाली मंडी, सकीना महल, फारुकी चौराहा, अशर्फी कॉलोनी, निपानिया रोड क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सड़क पर निकल कर शुक्ला का स्वागत किया।

महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों को करना होगा लेखा संधारण -

इन्दौर। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि महापौर और पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्दिष्ट होने के दिनांक से मतगणना दिवस तक के खर्च का व्यय लेखा संधारण किया जाना है। इस संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है।निर्वाचन व्यय लेखा के संधारण के लिए विनिर्दिष्ट निर्वाचन व्यय पंजियाँ अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाने के निर्देश हैं। निर्वाचन व्यय लेखा पंजी यदि किसी जिले में उपलब्ध नहीं है, तो आयोग से मांग-पत्र भेज कर प्राप्त की जा सकती हैं।निर्वाचन व्यय लेखा के लिए बैंक खाता पृथक से संधारित किया जाए। इस प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो रही है, तो आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी स्पष्ट प्रस्ताव भेजें। आयोग द्वारा जिले से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण के बाद मार्गदर्शन दिया जाएगा। निर्वाचन व्यय लेखा संधारण के साथ ही छाया प्रेक्षण पंजी (Shadow Observation Register) का संधारण भी किया जाना है।

नगरीय निर्वाचन के दौरान मीडिया में प्रचार-प्रसार संबंधी एडवाइजरी

इन्दौर। नगरीय निर्वाचन में उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अगर किसी उम्मीदवार द्वारा समाचार पत्रों अथवा इलेक्ट्रोनिक चैनल या संचार के अन्य साधनों में विज्ञापन का प्रसारण कराया जाता है तो उसका ख़र्च उनके व्यय लेखें में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है।

किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रकाशित या प्रसारित विज्ञापन के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। मीडिया संस्थानों को विज्ञापन स्वीकार करने के पूर्व यह प्रमाण पत्र भी अवश्य देखना चाहिए।किसी उम्मीदवार के पक्ष में समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा पेड न्यूज़ की श्रेणी में आएगा और संबंधित को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा। पेड न्यूज पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के व्यय लेखे में इसका खर्च शामिल किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने उपरोक्त कार्रवाई के लिए अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिला पंचायत में सूचना प्रकोष्ठ और मॉनिटरिंग केंद्र का संचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ विभिन्न अधिकारी कर्मचारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी है जो 22 जून से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सतत् निगरानी का कार्य करेंगे।

वैश्य महिलाओं के लिए पूरे वर्षभर चलने वाला ड्राइविंग प्रशिक्षण कैम्प कल से

इन्दौर। वैश्य महासम्मेलन म.प्र., महिला प्रकेष्ठ अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति एवं पटेल मोटर्स के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार वैश्य समाज की महिलाओ के लिए कार ड्राइविंग प्रशिक्षण कैम्प का शुभारंभ शनिवार, 18 जून को अपरान्ह 4 बजे ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर के नक्षत्र सभागृह में होगा। इस कैम्प में महिलाओं को 21-21 दिनों के ड्राइविंग प्रशिक्षण कैम्प के माध्यम से पूरे वर्षभर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

कार्यक्रम संयोजक गरिमा गुप्ता, संगीता पाटनी, तिलोत्तमा बंसल एवं स्वर्णा झांझरी ने बताया कि इस वर्कशाप में महिलाओं को कार की सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रेक्टिकल एवं थ्योरी के साथ ड्राइविंग सीखने का सुनहरा अवसर उपलब्ध रहेगा। भंवरकुआ एवं देवास नाका स्थित पटेल मोटर्स के दोनों शो रूम्स पर इस कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत वैश्य समाज की महिलाएं और युवतियां न्यूनतम शुल्क पर ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से यह कार ड्राइविंग कैम्प पूरे एक वर्ष तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। म.प्र. वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इस रचनात्मक प्रकल्प की प्रशंसा करते हुए संगठन की प्रदेश मंत्री प्रदेश मंत्री प्रतिभा मित्तल एंव उनकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया है कि वे इस प्रशिक्षण कैम्प का लाभ उठाएं।

डाक मतपत्र की कार्रवाई के लिये दण्डाधिकारी नियुक्त

इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने इन्दौर जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान सम्बन्धी कार्यों में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा डाक से प्राप्त मतांकित ई.डी.बी (निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र) लिफ़ाफ़े जिला कोषालय में प्राप्त करने के लिए 27 जून से मतगणना प्रारंभ होने तक अधिकारीयों को नियुक्त किया है।जारी अदेशानुसार नियुक्त अधिकारी प्रतिदिन कोषालय में उपस्थित होकर पुलिस अभिरक्षा में डाक विभाग से इस हेतु अधिकृत कर्मचारी से समन्वय स्थापित कर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे डाकमत पत्र प्राप्त कर विधिवत कोषालय में चिन्हित पेटी में मतपत्रों को सुरक्षित रखवाएंगे, तथा सम्पूर्ण कार्य की वीडियोग्राफी करवाना एवं पंचनामा तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। नायब तहसीलदार श्री लोकेश आहुजा 27 जून से 1 जुलाई तक, तहसीलदार कनाड़िया श्री सिराज खान 2 जुलाई से 6 जुलाई तक, नायब तहसीलदार श्रीमती निधि धाकड़ 7 जुलाई से 11 जुलाई तक, नायब तहसीलदार श्री रितेश जोशी 12 जुलाई से 16 जुलाई तक तथा तहसीलदार श्री ब्रह्मस्वरूप श्रीवास्तव 17 जुलाई को मतणना स्थल पर प्रात 9 बजे के पूर्व डाक विभाग से अधिकृत कर्मचारी से समन्वय बनाते हुए मतगणना स्थल पर मतांकित ईडीबी लिफाफे मतगणना हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त अधिकारी प्रतिदिन प्राप्त मतपत्रों की निर्धारित प्रारूप में जानकारी निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

घरेलू कामकाजी वर्कर हमारे परिवार की जीवन रेखा हैं - जिला न्यायाधीश श्रीवास्तव

इन्दौर । प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में आज अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश घरेलू कामकाजी ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में नेहरु पार्क इन्दौर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में उपस्थित कामकाजी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आप जैसे कुशल कामकाजी महिलाओं/कामगारों की बदौलत ही बहुत बड़ी संख्या में अनेक परिवारों की दिनचर्या एवं दैनिक गतिविधि सुचारू रूप से चल पाती है। वर्तमान में समाज को कामकाजी महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। परिवार व समाज में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने एवं संबोधन हेतु कामवाली बाई के स्थान पर जीवन रेखा की संज्ञा दी जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि घरेलू कामगारों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देने एवं आकस्मिक परिस्थितियों में उनके साथ संवेदनशीलता दिखाने तथा उनके हुनर को प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किये जाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने समस्त महिला कामगारों को निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह प्राप्त करने की प्रक्रिया, विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, जनउपयोगी लोक अदालत के साथ ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण क़ानून, भरण-पोषण, जमीन संपत्ति क्रय विक्रय के दौरान बरती जाने वाली सावधानी के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं मोबाइल एप्प के माध्यम से एवं आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आकर जिला न्यायाधीश/सचिव तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी से संपर्क कर निःशुल्क विधिक सेवा योजनाओं का लाभ लेने हेतु आह्वान किया।म.प्र. घरेलू कामकाजी ट्रेड यूनियन की निर्देशिका सिस्टर रोजिना जोसफ ने स्वागत उदबोधन में कहा कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी दिवस मना रहे हैं, वर्ष 2022 हेतु अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी दिवस की थीम ÷सभी काम हमारा सपना है, हार मत मानो÷ है। मैं आज उन सभी घरेलू कामगारों को सलाम करती हूँ एवं विशेष रूप से घरेलू कामगारों के कल्याण के लिए क़ानून लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से सकारात्मक हस्तक्षेप की उम्मीद करती हूँ। सिस्टर जोसेफ ने म.प्र. घरेलू कामकाजी ट्रेड यूनियन की गतिविधियों एवं कार्य क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए संस्था की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही यूनियन द्वारा महिलाओं को घरेलू कामकाज के अतिरिक्त बुनियादी प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन हेतु किये जा रहे प्रोत्साहन करों की जानकारी दी।सहायक विधि अधिकारी नगर निगम इन्दौर गोविन्द कौशल ने पेंशन एवं राशन प्रदाय के सम्बन्ध में बताया। सिटी प्रोग्राम मैनेजर नगर निगम इन्दौर दीप्ति रावत ने निगम द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के साथ ही श्रमिकों के पंजीयन पर प्रकाश डाला एवं कामकाजी महिलाओं को उक्त योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया।

चुनाव कर्मियों का होगा निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण

इन्दौर। मध्यप्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों / त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022-23 की घोषणा की गई है। चुनाव में संलग्न जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोविड-19 के टीके निशुल्क लगाये जायेंगे। (प्रथम / द्वितीय एवं प्रिकॉशन) टीके शासकीय होल्कर साइंस कालेज भंवरकुआ इन्दौर में लगेंगे। यह टीकाकरण संपूर्ण चुनावी प्रशिक्षण के दौरान प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।

मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में रहेगा अवकाश

इन्दौर । राज्य शासन द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 में मतदान दिवस में जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 25 जून, एक जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होगा।

Change in Name

It is to bring kind Notice to the people that my son previous name BHAGWAN DAS S/O YASHWANT TIROLE has been changed to KRISHNA TIROLE S/O YASHWANT TIROLE Therefore, in future my son will be known by the his new name only.

YASHWANT TIROLE
Add: MN 62, WARD N.4,
BHAWSINGHPURA DISTT.,
KHANDWA(M.P.)

Change in Name

I MUJIBURREHMAN Here by Declare That I have changed My name as MUJIBURREHMAN KHAN S/O SHAFIQUR REHMAN so, from now and In future I will be known by my new name.

MUJIBURREHMAN KHAN
S/O SHAFIQUR REHMAN
Add:15-C, ALI COLONY
KHAJRANA,
INDORE(M.P.)452016

Change in Name

It is to bring kind Notice to the people that my daughter previous name NASREEN MALIK D/O FIROZ MALIK has been changed to NISREEN MALIK D/O FIROZ MALIK Therefore, in future my daughter will be known by the her new name only.

FIROZ MALIK
Add:28, SAIFY NAGAR,
INDORE,(M.P.) 452014

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है की पूर्व में मेरी पुत्री का नाम **आहना पिता रितिक मोदी** था। जो अब बदल कर **आहना मोदी पिता रितिक मोदी** हो गया है अतः अब भविष्य में मेरी पुत्री को **आहना मोदी पिता रितिक मोदी** के नाम से ही जाना और पहचाना जावे।

रितिक मोदी
पताः डी-4, लक्ष्य रीजेंसी,
15/2, ओल्ड पलासिया, इंदौर
(म.प्र.) 452018

पंजीयन क्रमांक : D.R./I.D.R./120

केन्द्रिय शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था सीमित, इन्दौर

34-ए, आनन्द नगर, चितावद रोड, इन्दौर (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण

कम्युनिटी हॉल का रिन्युवेशन कार्य हेतु केन्द्रिय शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या, इन्दौर, पता - आनन्द नगर कम्युनिटी हॉल, 34-ए, आनन्द नगर, चितावद रोड, इन्दौर (म.प्र.) के लिए उनकी ओर से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित है। निविदा क्रमांक रिन्युवेशन निर्माण कार्य/01/2022-23, कार्य का नाम आनन्द नगर स्थित संस्था का कम्युनिटी हॉल का रिन्युवेशन निर्माण एवं विकास कार्य, निविदा फार्म का मूल्य रूपये 500/- जमा कर संस्था कार्यालय से दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक दिनांक 17/06/2022 से दिनांक 19/06/2022 तक क्रय किए जा सकते है। भरे हुए निविदा फार्म दिनांक 20/06/2022 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा किए जा सकते है। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 20/06/2022 को दोपहर 2:00 बजे खोली जाएगी। यदि जारी किए जाने/प्राप्ति/खुलने का अंतिम दिन अपरिहार्य कारणों से बंद/अवकाश होता है तो निविदा उसी समय के अनुसार अगले कार्य दिवस पर इश्यु/प्राप्त की जाएगी/खोली जाएगी। पात्रता मानदंड सहित निविदा का पूर्ण विवरण संस्था कार्यालय में उपलब्ध है। स्पष्टीकरण की दशा में संस्था कार्यालय से कार्य समय के दौरान व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें।

अध्यक्ष
केन्द्रिय शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को

आयोग द्वारा संभागवार नियुक्त किये गये पर्यवेक्षक

इन्दौर । मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा (2021) 19 जून को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दो सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरा सत्र दोपहर 215 बजे से शाम 415 बजे तक होगा। यह परीक्षा प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के संबंध में निर्धारित परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण हेतु आयोग द्वारा 11 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु संभागीय पर्यवेक्षकों से संपर्क किया जा सकता है। आयोग द्वारा इनके मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। आयोग द्वारा नियुक्त संभागीय पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं देखी जाएंगी तथा उसमें आवश्यक सुधार हेतु सुझाव दिए जाएंगे। उनके द्वारा परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कार्रवाई की जाएगी।

इन्दौर जिले के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री राजकुमार पाठक (94254-13561) को तथा इन्दौर संभाग के लिए सेवानिवृत्त आईएएस श्री कृष्णमोहन गौतम (94250-47345) को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी तरह चंबल संभाग मुरैना के लिए सेवानिवृत्त आईएएस श्री रविंद्र कुमार मिश्रा (94251-09437), ग्वालियर संभाग के लिए सेवानिवृत्त आईएएस श्रीमती मधु खरे (94251-90855), उज्जैन संभाग के लिए श्री सी.बी. सिंह (94258-99944), भोपाल संभाग के लिए सेवानिवृत्त आईपीएस श्री एस.एस. वरवड़े (94244-39474), जबलपुर संभाग के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयेग के पूर्व अध्यक्ष श्री भास्कर चौबे (94254-69093), नर्मदापुरम संभाग के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा श्री एनसी नागराज (97520-76098), सागर संभाग के लिए सेवानिवृत्त आईएएस श्री एन.एस. भटनागर (94253-25258), रीवा संभाग के लिए डायरेक्टर जनरल जन अभियान परिषद श्री बी.आर. नायडू (94256-02333) तथा शहडोल संभाग के लिए सेवानिवृत्त आईएएस श्री मनोहर दुबे (94253-00503) को पर्यवेक्षक बनाया गया है।

SYLPH TECHNOLOGIES LIMITED

Registered Office: ST-4 Press House,
22 Press Complex A. B. Road, Indore (M. P.) 452008
CIN - L36100MP1992PLC007102
E-mail: rajeshjain1962@gmail.com
URL : www.sylphtechnologies.com

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the members of SYLPH TECHNOLOGIES LIMITED will be held on Monday, 11th July, 2022 at 02:00 P.M at Registered Office of the Company, ST-4 Press House, 22 Press Complex, A.B Road, Indore (M.P.) 452008 to transact the business as per the notice of 30th AGM. The Notice of 30th AGM, Annual Report 2021-22 and Attendance Slip, proxy form, ballot paper has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has also been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-voting facility to its Members, enabling them to cast their votes electronically for all the resolutions as set out in the Notice of 30th AGM. The Company has availed the e-voting services as provided by National Securities Depository Limited. The facility for voting through poll / Ballot paper voting shall also be made available at the venue of the meeting.

The Board of Directors of the Company has appointed CS Purtika Rani Sahu, Indore, as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-voting period will commence on Friday, 8th July, 2022 (9.00 A.M) and ends on Sunday 10th July, 2022 (5.00 P.M). The e-voting module shall be disabled by NSDL, for voting thereafter. The Remote E-voting will not be allowed for voting after 5:00 P.M on Sunday 10th July, 2022. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or in Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-off date i.e Monday, 4th July, 2022, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting by poll / ballot at the meeting.

The Notice of AGM along with instruction for E-voting has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Record of Depositories as on 4th July, 2022.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, 4th July, 2022, can view the notice convening the AGM on the website of the Company viz http://www.sylphtechnologies.com/ and on the website of NSDL viz https://www.evoting.nsdl.com. Such Shareholders can exercise their voting rights by following the procedure as mentioned in the said Notice under E-voting instructions or by voting available at the venue of the AGM.

Members are requested to read the instruction pertaining to e-voting as printed in AGM Notice carefully. Any query/concern/grievances connected with voting by electronic means, if any shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) on e-voting for members and e-voting users manual for members available at https://www.evoting.nsdl.com/ or contact NSDL at the Toll free no.: 18001020990 and 1800224430. Alternatively, you can send your queries at evoting@nsdl.co.in .

The notice convening 30th AGM along with the Annual Report of the F.Y 21-22 and other relevant documents are also available on the company's website www.sylphtechnologies.com. The Notice of the meeting is also displayed on the website of NSDL viz https://www.evoting.nsdl.com .

Further we hereby intimate that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with stock exchange(s), the Register of Members and Share Transfer Book of the company will remain close from Tuesday, 5th July, 2022 to Thursday, 7th July, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place: Indore
Date: 15th June, 2022

For Sylph Technologies Limited
Sd/-
Dr. Rajesh Jain
Director

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग वि./यां. संभाग, (ओल्ड पलासिया) इंदौर

E-mail ID:- eepwdelecind@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना कमांकः- 31/व.ले.लि./वि./या./2022-23 — इन्दौर दिनांक 15.06.22

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

स. क.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानत राशि (रू.)	निविदा प्रपत्र की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2022_PWDRB_209791	एम.जी.एम., मेडीकल कॉलेज इंदौर के अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के एफ.ए.डी. एंव पी.ए. सिस्टम, सी.सी.टी.वी. सिस्टम, ऑडियों सिस्टम एंव एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम का वार्षिक संधारण का कार्य।	इंदौर	13.74	27,485/-	2,000/-	केन्द्रीयकृत पी.डब्ल्यू. डी. विद्युत पंजीकरण	12 माह वर्षाकाल सहित
2	2022_PWDRB_209792	एम.जी.एम., मेडीकल कॉलेज इंदौर के अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के सोलर पावर सिस्टम एंव समस्त यू.पी.एस. सिस्टम का वार्षिक संधारण का कार्य।	इंदौर	8.15	16,320/-	2,000/-	तदैव	12 माह वर्षाकाल सहित
		कुल राशि रू.		रू.21.89				

1. उपरोक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन पेमेंट करने के पश्चात बिड डॉक्यूमेंट क्रय किया जा सकता है।
2. बिड प्रस्तुत करते समय बिड प्रस्तुतकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। 1. बिड डॉक्यूमेंट की खरीदी का प्रमाण, 2. अरनेस्ट मनी जमा करने का प्रमाण, 3. चेक लिस्ट, 4. एफिडेविट आदि अन्य विस्तृत जानकारी बिड डाटा शीट में देखी जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की तिथि दिनांक 17.06.22 सुबह 10:30 से दिनांक 25.06.22 सांय 17:30 बजे तक निर्धारित है।
4. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन पेपर पब्लिकेशन में नहीं किया जाकर सिर्फ वेबसाईट पर ही किया जावेगा, ।

G-13865/22

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. वि/यां संभाग, इंदौर